तारीख हुक्म	**न्यायालय – ए.सी.जे.एम डूंगरपुर** **वाडीलाल बनाम मनोज** **प्रकरण संख्या 1287/2018 रे.फौ.** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2025	परिवादी अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री प्रवीण शुक्ला उपस्थित। मुलजिम मनोज का जारीशुदा गिरफतारी वारंट मय तस्दीक के अदम तामील प्राप्त हुआ। प्रकरण में गवाह सीडब्ल्यू 1 महेन्द्र सिंह कानि. नं. 161 पुलिस थाना कोतवाली के बयान लेखबद्ध किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2018 से लंबित है। अभियुक्त मनोज को बार–बार गिरफतारी वारंट से तलब करने के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है। पत्रावली के अवलोकन पर तामीलीय स्थिति को देखते हुए न्यायालय का समाधान है कि अभियुक्त मनोज गिरफतारी के भय से रूहपोश हो रहा है, जिसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है, अतः अभियुक्त मनोज को मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त मनोज का स्थाई गिरफतारी वारंट जारी कर दर्ज नंबर थाने से मंगवाए जायें। सम्मन मामला है। मुलजिम एक बार भी न्यायालय में उपस्थित नही आया है। अतः स्थाई वारण्ट पर इस बाबत् नोट अंकित हो। धारा 82–83 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि अभियुक्त मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे। 16/1/25 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर (राज.)	